

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SUMERPUR

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 18-12-2018 3:31 PM

Fee Receipt No	: 201802113006647	Receipt Date	: 18/12/2018
Name	: KARAN SINGH RAJPUROHIT ADVOCATE, M/S NECHURA CONS. AJMER PRO. AAKASH GARG	Document S. No.	: 201801113006736
Address	: PALDI JOD		
Document Type	: Inspection And Search		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹ 0	Reg (memorandum)	: ₹ 0
Surcharge	: ₹ 0	Stamp Duty	: ₹ 50
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹ 0	Others	: ₹ 0
From Year 2018 To Year 2018		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 50
		Total Amount	: ₹ 50



[Signature]
उप पंजीयक, सुमेरपुर

Karan Singh Rajpurohit



Advocate

Office – Opp. Court Campus Sumerpur,

Tehsil - Sumerpur, Distt. - Pali (Raj.)

Mo. 9414881756

SEARCH AND TITLE REPORT OF THE PROPERTY

Khasra No. 1587 at Paldi, Tehsli -Sumerpur, Distt.- Pali (Rajasthan) (Area-14843.64 Sq. Meter)

As desire, I am submitting below the legal scrutiny report for the papers/property of above mentioned property. I have conducted the search in the office of Sub Register, Sumerpur by vide **Receipt No. 201802113006647 dated-18/12/2018**. The report is submitted as hereunder:-

TITLE HOLDER-M/s Natura Construction Ajmer-Proprietor Akash Garg

Title Deed Seen and Search in the Sub-Registrar's Office:-

TITLE DEED-Nagar Palika Sumerpur has issued Aabadi Patta (Nagar Palika) no. 58, Patravali No. 704/08-02-2018, Khasra No. 1587, Paldi dated 24-09-2018 under "CM JAN AAVAS YOJNA" in favour of M/s Natura Construction Ajmer-Prop. Akash Garg, S/o Govind Garg which was duly registered at office of Sub Registrar Sumerpur on Date- 24-09-2018.

CERTIFICATE

I, hereby certified that I have personally searched and verified the information furnished in this report and have compared the title deeds given to me with the copy of it in the office of Sub-Registrar and have found both tallying with each other. Further from the scrutiny of the records and the documents, I have observed that the possession of the said property is established. M/s Natura Construction, Ajmer-Prop. Akash Garg is the sole and absolute owner of the above said property. And he has all legal rights, title and interest regarding the above mentioned property.

It is therefore, that M/s Natura Construction, Ajmer-Prop. Akash Garg is the absolute owner of the above said property and the property is free from all sort of encumbrances, charges, liabilities of any kind whatsoever and the title of the owner of the said property is clear, free and marketable.

Thanking you


Karan Singh Rajpurohit
Karan Singh Rajpurohit
Sumerpur (Rajasthan)

Encl: Copy of Receipt deposited in the office of Sub-Registrar Rs 50/-

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SUMERPUR

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 24-09-2018 5:28 PM

Fee Receipt No : 201802113005350 Receipt Date : 24/09/2018
Name : AKASH GARG (PRO. NATURA CON. AJMER), Document S. No. : 201801113005417
Address : 0 ,OSWALL MOHALLA MADANGANJ ,KISHANGARH ,AJMER
Document Type : Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent
Face Value : ₹ 738232 Evaluated Value : ₹ 0
Ord-Registration Fee : ₹ 7390 Fee for Memorandum Us_64_67 : ₹
CSI : ₹ 300 Certified copying fees Us_57 : ₹
Stamp (Memorandum) : ₹ Reg (memorandum) : ₹
Surcharge : ₹ 7384 Stamp Duty : ₹
Penalty : ₹ 0 Inspection fee : ₹
Us_25_34 : ₹ 0 Commission : ₹
Custody : ₹ Others : ₹
Cash Amount Received : ₹
Other than Cash : ₹
Total Amount : ₹

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 25421707 ₹ 51994

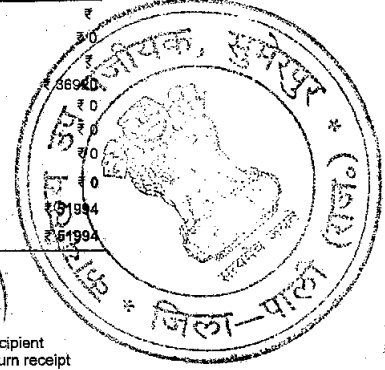
Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Signature of recipient
and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

उद पंजीयक, सुमेपुर



4027/18



नगरपालिका मण्डल, सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर - कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

पत्रावली सं. 704/02-02-2018

पट्टा विलेख सं. 58



यह विलेख आज वर्ष 2018 के माह 09 के 24 वे दिन नगरपालिका मंडल, सुमेरपुर जिला पाली (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री मै. नेतुरा कनकरामन अदमर पुत्र श्री श्री. आकाश गर्ग जाति अमरवात व्यवसाय पट्टाधार निवासी भवनगढ़ - किसानगढ़ (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुक्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख सांख्यिकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो क्षेत्र 1.63 हेक्टर (14943.44) योजना नुसार पुरखेसरी जनभवास राजस्व ग्राम पालडी के खसरा संख्या 1587 क्षेत्रफल में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इनके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वतंत्र सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

- लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय समय पर इस हेतु नियत कर दे, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रुपये 7,38,232/- अंके आठ लाख अड़तीस हजार दो सौ बत्तीस रुपये र.सं. 08/46 ति. 14/09/18 मात्र पेशगी अंदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
- पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होंगे।
- उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
- इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम 26 के अन्तर्गत बंदा दी जावे, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
- लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप-पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों के अन्तर्गत निबंधन और शर्तों और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप-पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप-पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप-पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्ही पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होंगे।
- उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निश्चित की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रसारित नहीं की जायेगी।
- उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूली होगी।
- यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों के शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसके प्रतिसंहत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।
- इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिडयूल्ड बैंक/सरकार ऋणदायी संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

नगर पालिका मण्डल, सुमेरपुर जिला-पाली (राजस्थान)

उक्त पट्टा विलेख के साथ संलग्न है जो विक्रय पत्र का अभिन्न अंग है। ई
स्टाम्प नम्बर रुपये

हस्ताक्षर लीजधारक

नाम श्री. आकाशगर्ग



उप पंजीयक, सुमेरपुर

अधिशर्षी अधिकारी
नगरपालिका सुमेरपुर



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 738232 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 36920 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 7390, सरचार्ज राशि 7384 कुल रु 51694 रसीद संख्या 201802113005350 दिनांक 24-09-2018 में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रु 36920 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201801113005417

उप पंजीयक, SUMERPUR

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

Registration Endorsement

आज दिनांक 24/09/2018 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 395 में पृष्ठ संख्या 47 क्रम संख्या 201803113104027 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1435 के पृष्ठ संख्या 84 से 91 पर चस्पा किया गया।

201801113005417

उप पंजीयक, SUMERPUR

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1 श्री/श्रीमती/सुश्री SOM PRAKASH MISHRA (E.O.) , पुत्र/पुत्री/पति श्री E.O. SUMERPUR, व्यवसाय जाति Nagar Palika			Executant Age : 0 Signature :
2 श्री/श्रीमती/सुश्री AKASH GARG (PRO. NATURA CON. AJMER), पुत्र/पुत्री/पति श्री PRAHLAD CHAND JI GARG , व्यवसाय Businessजाति GARG House No.:0, Colony: OSWALL MOHALLA MADANGANJ , Area: KISHANGARH, City: KISHANGARH, Pin code: 305801, District: AJMER, State: RAJASTHAN			Executant Age : 29 Signature :
श्री/श्रीमती/सुश्री AKASH GARG (PRO. NATURA CON. AJMER), पुत्र/पुत्री/पति श्री PRAHLAD CHAND JI GARG , व्यवसाय Businessजाति GARG House No.:0, Colony: OSWALL MOHALLA MADANGANJ , Area: KISHANGARH, City: KISHANGARH, Pin code: 305801, District: AJMER, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 29 Signature :

ने लेख्यपत्र Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 738232/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 738232/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAMESH KUMAR PARMAR (D.W.) , पुत्र/पुत्री/पति श्री OTA RAM JI जाति MALI Age: 48 Add: House No.:0, Colony: GANESH CHOUDHARY , Area: SUMERPUR , City: SUMERPUR , Pin code: 306902, District: PALI, State: RAJASTHAN			

201801113005417

उप पंजीयक, SUMERPUR

Presentation Endorsement

आज दिनांक 24 माह 09 सन् 2018 को 05:26 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री AKASH GARG (PRO. NATURA CON. AJMER)
पुत्र/पुत्री/पति श्री PRAHLAD CHAND JI GARG
उम्र 29 वर्ष, जाति GARG, व्यवसाय Business
निवासी/House No.:0, Colony: OSWALL MOHALLA MADANGANJ,
Area: KISHANGARH, City: KISHANGARH, Pin code: 305801, District:
AJMER, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
201801113005417

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
SUMERPUR

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

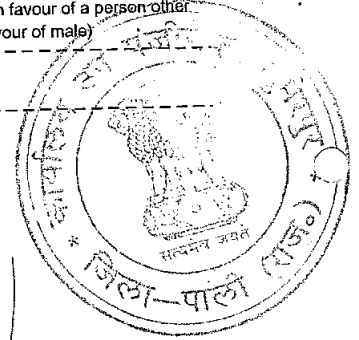
Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	201802113005350
दिनांक	24-09-2018
पंजीयन शुल्क ₹	7390
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	36920
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	7384
कुल योग	51994

201801113005417

Lease Deed or Sale Deed, executed by State Government, Jaipur/Jodhpur/Ajmer-Development Authority, UIT, local bodies, Gram Panchayat, and other local bodies under the Rajasthan urban areas (Permission for use of Agriculture land for non-agriculture purposes and allotment), Rules 2012 and under section 90A of RLR Act, 1956 or under any other relevant rules in favour of a person other than khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument. (in favour of male)

उप पंजीयक, SUMERPUR

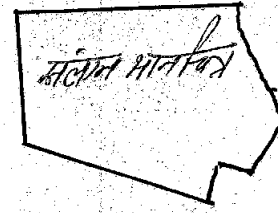


नगरिथ नकरा
सानचित्र सलान है ।

सीमा पूर्व राजकिथ वन (गला)
सीमा पश्चिम सडक
सीमा उत्तर इदि भूमि
सीमा दक्षिण रास्ता

N
▲

भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो कलकत्ता



नगर निकाय की ओर से

अतिरिक्तिकाय-प्रथम प्रक्षारी
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

528

लीजधारक के हस्ताक्षर - द्वितीय पक्ष

साक्षी के हस्ताक्षर

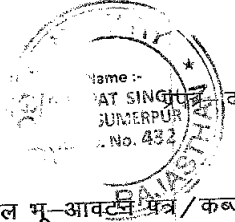
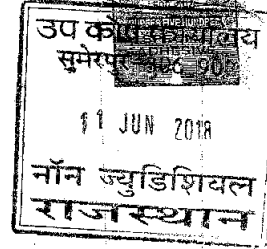
अधिकांश अधिकारी
नगरपालिका, सुनसरीपुर

अध्यक्ष
नगरपालिका, सुमेरपुर
नगरपालिका, सुमेरपुर

Schik
स. वसुधैव कुटुम्बकम्
नगरपालिका, सुपेइपुर

मम मुद्रांक विक्रेता-महेशकुमार दवे, स्टाम्प वेण्डर, सुमेरपुर
 नमुना पत्र संख्या :- 04/2016-17
 जिरदार क्रम संख्या 1897 दिनांक 28/6/18
 मुद्रांक वेल्थ व क्रम संख्या 500/-
 मुद्रांक केता का नाम 1. आकाश गार्ग
 पता/प्रति का नम्बर 2. गाव और 3. धारा
 निवासी मोहल्ला मोहल्ला मदनगंज किशनगढ़
 हस्ते 1. आकाश गार्ग
 वास्ते (प्रयोजन) 2. गाव और 3. धारा
 क्रेता/हस्ते के हस्ताक्षर मुद्रांक विक्रेता के हस्ताक्षर

1. आकाश गार्ग	50
2. गाव और 3. धारा	50
कुल योग	100
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर	



नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) के हक में प्रोविजनल भू-आवंटन पत्र/कब्जा पत्र दिये जाने हेतु मुल खातेदार का आवेदन पत्र

(देखे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(A) (7) (b) एवं Township policy 2010 अधिसूचना क्रमांक F-3(77) UDD/3/2010 दिनांक 28.06.2010 (Up to 10 Hectares)

का बिन्दु संख्या 12)

क्रमांक :

दिनांक : 28/06/2018

नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) का नाम जिसके हक में भूखण्ड आवंटन

चाहा गया है नाम मय पिता-पति:- नेचुरा कन्सट्रक्शन (प्रोपराईटर:- आकाश गार्ग पुत्र श्री गोविन्द गार्ग)
 पूर्ण पता :- ओसवालि मोहल्ला मदनगंज किशनगढ़

नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) का आधारकार्ड



मोबाईल नम्बर :-9829070994

For Natural Construction

नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) के Prop.



हस्ताक्षर एवं दाहिने हाथ की
 SIGNATURE
 APPRECIATED
 28/6/18
 NOTARY PUBLIC
 SUMERPUR (RAJ.)

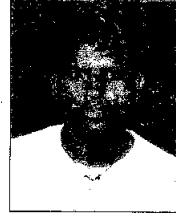
भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	पालडी
खसरा नम्बर	1587
भूखण्डसंख्या लम्बाई X चौड़ाई कुल क्षेत्रफल	मुख्यमंत्री आवास योजना 2015 (1.63 है) मे से, 16300 वर्गमीटर
भू-उपयोग	पैरा फेरी



मूल खातेदार का नाम मय पिता/पति का नाम :- कैलाशकुमार पुत्र श्री बाबुलालजी

पूर्ण पता:- निवासी-मोरी बेडा स्टेशन तह. बाली जिला पाली राज.



मोबाईल नम्बर :- 7568936167



हस्ताक्षर एवं दाहिने हाथ की

पांच उंगलियों की निशानी

SIGN (T.I.)
ATTACHED
28/6/15
PUBLIC
OFFICER (RAJ.)

यह प्रोविजनल आवंटन/कब्जा पत्र राजस्थान सरकार नगरीय एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-3(77) UDD/3/2010 दिनांक 28.06.2010 के बिन्दु संख्या 12 के तहत घोषित राजस्थान में आवासीय परियोजनाओं/टाउनशिप विकसित करने में निजी निवेश की नीति, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(A) (7) (b) एवं राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 की अनुपालना में उपरोक्त भूखण्ड मय कब्जा प्रोविजनल समनुदेशिती (Assignee) /नॉमिनी के हित में मुख्यमंत्री आवास योजना उपयोग हेतु निम्न शर्तों पर समनुदेशिती (Assignee)/नॉमिनी के हक में जारी कर दिया जावे तो उक्त मूल खातेदारों को कोई आपत्ति नहीं होगी:-

1- मैं मूल खातेदार शपथ पूर्व निवेदन करता/करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित भूमि मेरे खातेदार स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसे मैंने नगरपालिका, सुमेरपुर को अन्तर्गत कर दी है।

2- उक्त वर्णित आराजियात की भूमि का नगरपालिका द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के तहत आदेश दिनांक 8.06.2018 को जारी किये जाकर भूमि नगरपालिका के नाम दर्ज हो चुकी है तथा प्लान अनुमोदित कर दिया गया है।

3- यह है कि मैं खातेदार :- कैलाशकुमार पुत्र. श्री बाबुलालजी की वर्णित आराजियात की भूमि के खातेदारों द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर द्वारा अनुमोदित प्लान में रोड नेटवर्क यथावत रखते हुए एवं भविष्य में रोड विस्तारीकरण के समय कोई आपत्ति नहीं करने का परिचय देते हुए भूखण्डों का आपसी बंटवारा कर लिया है निष्पादित बंटवारा नामा अनुसार वर्णित आराजियात के अनुमोदित प्लान का भूखण्ड संख्या मुख्यमंत्री आवास योजना एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 16300 वर्गमीटर मुझे शपथकर्ता को प्राप्त हुआ है जिसे विक्रय अन्तरण इत्यादि करने का मुझे पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

4- मैं मूल खातेदार :- कैलाशकुमार पुत्र. श्री बाबुलालजी शपथपूर्व निवेदन करता हूँ कि राजस्थान सरकार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F-3(77) UDD/3/2010 दिनांक 20.06.2010 को घोषित नीति के बिन्दु संख्या 12 एवं भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(A) (7) (b) के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 16300 वर्गमीटर कर आवंटन/पट्टा मेरे/मेरे द्वारा नामांकित उक्त नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) व्यक्ति के नाम से स्वास्थचित्त एवं बिना दबाव के दे चुका हूँ एवं इस दौरान मेरे द्वारा समस्त प्रतिफल प्राप्त कर लिया है। अब इसके अतिरिक्त नगरपालिका, सुमेरपुर भूमि रूपान्तरण की जो भी राशि बनती है, वह नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) व्यक्ति द्वारा अदा की जायेगी।

मेरे द्वारा नामांकित व्यक्ति का/के नाम श्री नेचुरा कन्सट्रक्शन (प्रोपर्टाईटर:- आकाश गर्ग पुत्र श्री गोविन्द गर्ग) पूर्ण पता :- ओसवालि मोहल्ला मदनगंज किशनगढ़ है। वर्तमान में मौके पर इनका ही कब्जा है अतः उक्त भूखण्ड संख्या मुख्यमंत्री आवास योजना एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 16300 वर्गमीटर का आवंटन/पट्टा श्री नेचुरा कन्सट्रक्शन (प्रोपर्टाईटर:- आकाश गर्ग पुत्र श्री गोविन्द गर्ग) पूर्ण पता :- ओसवालि मोहल्ला मदनगंज किशनगढ़ के नाम से जारी करने का कष्ट करें जिसमें मुझे एवं मेरे वारिसान को भविष्य में कोई आपत्ति नहीं होगी।

5- मैं आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) श्री नेचुरा कन्सट्रक्शन (प्रोपर्टाईटर:- आकाश गर्ग पुत्र श्री गोविन्द गर्ग) पूर्ण पता :- ओसवालि मोहल्ला मदनगंज किशनगढ़ है। शपथपूर्व निवेदन करती हूँ कि उक्त वर्णित भूखण्ड मूल खातेदार द्वारा मुझे आवंटित एवं समनुदेश (Assign) किया गया है। वर्तमान में उक्त भूखण्ड पर मेरा ही कब्जा है। भूखण्ड मेरे समस्त प्रतिफल मेरे द्वारा खातेदार :- कैलाशकुमार पुत्र. श्री बाबुलालजी को अदा कर दिया गया है। अब इसके पश्चात् नगरपालिका द्वारा जो भी नियमन/विकास शुल्क एवं अन्य नियमानुसार राशि की मांग की जायेगी वह मेरे द्वारा जमा कराई जावेगी। अतः उक्त आवंटन टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दु संख्या 12 एवं भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90(A) (7) (b) के तहत मेरे पक्ष में लीजडीउ जारी करावे।

SIGN / T.

ATTESTED

28/11/18

NOTARY PUBLIC

INDIA (RAJ)

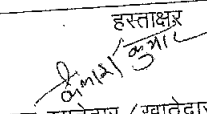
6- आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) द्वारा राज्य सरकार/नगरपालिका क संबंधित नियमों, उपनियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों, निर्णयों की अनुपालना की जावेगी।

7- आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) को नगरपालिका, सुमेरपुर द्वारा जिस क्षेत्र में भूखण्ड आवंटित किया गया है वह क्षेत्र नगरपालिका, सुमेरपुर के अन्तर्गत आता है। आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) द्वारा योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी न्यास की संबंधित शाखा से प्राप्त की जावेगी। मूल खातेदार का अब उक्त भूमि/भूखण्ड से कोई सरोकर नहीं होगा।

8- यह है कि प्रोविजनल आवंटन पत्र/कब्जा पत्र को आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) के हक में द्वारा राज्य सरकार के नगरपालिका द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अथवा किये जाने वाले नियमों/आदेशों/परिपत्रों के तहत मूल खातेदार एवं नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क जमा करवाने के पश्चात् प्रोविजनल आवंटन पत्र नगरपालिका द्वारा जारी किया जाकर आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) को कोई पट्टा विलेख (लीजडीड) न्यास द्वारा जारी किये जाने पर आवेदनकर्ता मूल खातेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

9- उपरोक्तानुसार प्रोविजनल आवंटन पत्र मूल खातेदार एवं आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नगरीय विकास विभाग के समस्त नियमों का पालन करत हुए आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) की रहेगी। हम मूल खातेदार/नामकित व्यक्तियों द्वारा यह प्रोविजनल भू-आवंटन पत्र/कब्जा पत्र स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि से बिना दबाव के लिख दिया है जो सनद रहे एवं नियमानुसार उपयोग उपभोग में आवें।

मैं/हम मूल खातेदार :- कैलाशकुमार पुत्र. श्री बाबुलालजी आवंटी नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) श्री नेचुरा कन्सट्रक्शन (प्रोपर्टाईटर:- आकाश गर्ग पुत्र श्री गोविन्द गर्ग) यह सत्यापित करते हैं कि इस प्रोविजनल आवंटन पत्र/कब्जा पत्र में वर्णित की गयी समस्त शर्तों को मेरे द्वारा पढ़ सुन व समझ लेने के पश्चात् यह आवंटन पत्र/कब्जा पत्र नॉमिनी/समनुदेशिती (Assignee) के हक में जारी करने हेतु आवेदन किया है एवं उक्त कॉलम संख्या 1 से अन्त तक सभी कथन मेरे/हमारे निजी ज्ञान में सही होकर सत्य हैं।

हस्ताक्षर  For Nature Construction (Assignee) पूर्ण पता Prop. नेचुरा कन्सट्रक्शन (प्रोपर्टाईटर:- आकाश गर्ग पुत्र श्री गोविन्द गर्ग) निवासी- ओसवालि मोहल्ला मदनगंज किशनगढ़	हस्ताक्षर  मूल खातेदार/खातेदारों का नाम पूर्ण पता :- कैलाशकुमार पुत्र. श्री बाबुलालजी निवासी - मोरी बेडा स्टेशन तहसील सुमेरपुर जिला पाली
--	---

SIGN / T.I.
ATTACHED

NOTA PUBLIC
SUMERPUR (RAJ)

नॉमिनी/समनुदेशिती के नाम से पट्टा जारी करने से भविष्य में कोई वाद/विवाद/न्यायालय वाद होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी हमारी होगी। नॉमिनी/समनुदेशिती के नाम से नाम पट्टा जारी करने से पंजीयन शुल्क/स्टाम्प ड्यूटी या किसी भी सरकारी विभाग की कोई कर/शुल्क देय होता है या बकाया निकलता है तो उसके भुगतान की समस्त जिम्मेदारी हमारी होगी। इसके लिये प्राधिकरण जिम्मेदारी नहीं होगा। यदि अंकेक्षण दल द्वारा कोई बकाया राशि निकाली जाती है तो उसके भुगतान हेतु हम बाध्य रहेंगे।

हस्ताक्षर गवाह - 1 <u>रमेश कुमार</u> (आवंटीनामिनी/समनुदेशिनी की ओर से)	हस्ताक्षर गवाह - 1 (मूल खातेदार की ओर से) <u>रमेश कुमार</u>
गवाह - 1 <u>रमेश कुमार माली</u>	गवाह - 1 <u>रमेश कुमार माली</u>
नाम/पिता का नाम <u>रमेश कुमार माली</u>	नाम/पिता का नाम <u>रमेश कुमार माली</u>
पूर्ण पता <u>खडक मिनारे लक्ष्मीपुला मेरौली राजस्थान</u>	पूर्ण पता <u>खडक मिनारे लक्ष्मीपुला मेरौली राजस्थान</u>
[REDACTED]	[REDACTED]
मोबाइल नम्बर <u>9414121426</u>	मोबाइल नम्बर <u>9982956389</u>
हस्ताक्षर गवाह 2 <u>गोपाल शर्मा</u> (आवंटीनामिनी/समनुदेशिनी की ओर से)	हस्ताक्षर गवाह - 2 (मूल खातेदार की ओर से) <u>गोपाल शर्मा</u>
गवाह - 2 <u>गोपाल शर्मा</u>	गवाह - 2 <u>गोपाल शर्मा</u>
नाम/पिता का नाम <u>गोपाल शर्मा</u>	नाम/पिता का नाम <u>गोपाल शर्मा</u>
पूर्ण पता <u>अजमेरी कावास मिनारा माता चौराहा जयपुर</u>	पूर्ण पता <u>अजमेरी मोहल्ला जयपुर, जयपुर</u>
[REDACTED]	[REDACTED]
मोबाइल नम्बर <u>9461674040</u>	मोबाइल नम्बर <u>9602066534</u>

उक्त आवेदन पत्र को सत्यापित कर नोटरी रजिस्टर में दर्ज किया गया।

हस्ताक्षर नोटरी 514/28/118

नोटरी का नाम रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोहर

नोटरी रजिस्टर का क्रमांक 514/28 दिनांक 28/1/18

SIGN / T.I.
ATTESTED
NOTARY PUBLIC
SUMMER RAJ

नगरपालिका, सुमेरपुर

उक्त आवेदन पत्र आज दिनांक को उक्त मूल खातेदार/खातेदारों द्वारा प्राधिकरण व्यक्तिगत उपस्थित होकर समनुदेशिती (Assignee) के हक में आवंटन पत्र एवं पट्टा विलेख (लीजडीड) जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गई।

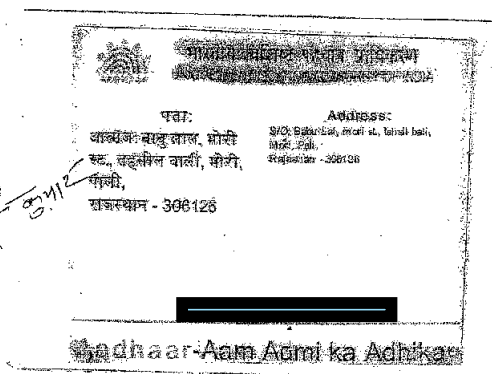
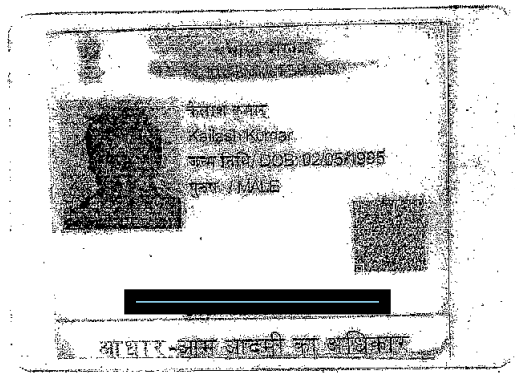
स्थान - सुमेरपुर

हस्ताक्षर

(नाम)

नगरपालिका, सुमेरपुर

१०/१२/२०२१ सुमेरपुर



वर्षा १५ ५१११ हाथ का

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आकाश गर्ग
Akash Garg
जन्म तिथि/ DOB: 04/04/1989
पुरुष / MALE

मेरा आधार, मेरी पहचान

For Natura Construction

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

आधार
आधार प्रमाणिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता:
अहमद: गोविन्द गर्ग, सी/ओ प्रह्लाद चंद
गर्ग, ओसवाली मोहल्ला, मदनगंज,
किशनगढ़, किशनगढ़, अजमेर,
राजस्थान - 305801

Address
S/O: Govind Garg, C/o
Prahlaad Chand Garg, Oswali
Mohalla, Madanganj,
Kishangarh, Kishangarh,
Ajmer,
Rajasthan - 305801

1800 300 1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in P.O. Box No. 1947 Bopalpur-269 004

हस्ताक्षर एवं दाहिने हाथ की

